सुनवाई | हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे पीएचई के अफसर

छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा फिर पहुंचा हाई कोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस बार राज्य शासन के एक विभाग के अफसरों की गफलत के चलते सरकार को याचिकाकर्ता ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। पीएचई में सब इंजीनियरों की भर्ती हो रही है। विभाग ने आरक्षण प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की धज्जियां उड़ा दी है। एसएलपी पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ सरकार को राज्य में आरक्षण रोस्टर 29 नवंबर 2012 के तहत भर्ती प्रक्रिया जारी रखने का आदेश दिया था।

याचिकाकर्ता रश्मि चाकरे ने अपनी याचिका में बताया है कि पीएचई ने मार्च 2025 में सब इंजीनियर सिविल के 102 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। इसमें आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसा कर विभाग के अफसर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सीधेतौर पर उल्लंघन कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग ने अदालतों के निर्देशों के परिपालन के संबंध में पत्र भी जारी किया है। इसके बाद भी विभागीय अफसर अपने नियम चला रहे हैं। पीएचई में सब इंजीनियर भर्ती के लिए जारी 102 पद में 52 अनारक्षित, 15 अजा, 20 अजजा व 15 प्रतिशत ओबीसी के लिए आरक्षित रखा गया है। विज्ञापन में शर्त रखी गई कि चयन प्रक्रियाओं में आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र में तीन मई 2023 के अनुसार व सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के अध्याधीन रहेगा।

लिखित परीक्षा पास होने के बाद 10 जुलाई को पत्र लिखकर दस्तावेज के परीक्षण के लिए बुलाया। 16 जुलाई को लिखे पत्र में एसटी वर्ग में 19 वें नंबर पर आने के कारण उसे नहीं बुलाया। याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ शासन के 29 नवंबर 2012 को आरक्षण संशोधन का हवाला देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने एससी को 12, एसटी को 32 व ओबीसी को 14 प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले एससी को 16, एसटी को 20, ओबीसी को 14 प्रतिशत था। राज्य शासन के संशोधन को चुनौती देते हुए बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने जिला स्तरीय आरक्षण व्यवस्था को असंवैधानिक मानते हुए रद कर दिया था। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आगामी आदेश तक 29 नवंबर 2012 को आरक्षण रोस्टर के अनुसार भर्ती प्रक्रिया जारी रखने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि पीएचई के अफसर सब इंजीनियर भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। पीएचई ने 32 के बजाय एसटी आरक्षण को 20 प्रतिशत कर दिया है।

29 नवंबर 2012 के तहत भर्ती प्रक्रिया जारी रखने का पूर्व में दिया गया था आदेश

ये है सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी विभाग प्रमुखों को पत्र लिखा है। हाई कोर्ट बिलासपुर के 19 सितंबर 2022 के आदेश को सभी विभागों को पालन के लिए सूचित किया गया था, उक्त आदेश के विरुद्ध राज्य शासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य को नियुक्तियां एवं चयन प्रकिया पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार किए जाने की अंतरिम अनुमति प्रदान की है। सभी नियुक्तियों एवं चयन प्रकियाओं में यह विशेष रूप से उल्लेखित किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन रहेंगी।

इन विभागों में दिया जा रहा 32 प्रतिशत आरक्षण का लाभ

लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग एवं लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न विभागों में भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को 32 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। पीएचई में राज्य शासन के दिशा निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इतर अलग ही नियम व मापदंड अफसर अपना रहे हैं। पीएचई के अफसर आरक्षण नियम का सीधेतौर पर उल्लंघन कर रहे हैं।